अधिसूचना संख्या 11/2016 [एफ. सं. डीजीआईटी (एस) / सीपीसी (टीडीएस) / अधिसूचना / 2016-17] , दिनांक 2-12-2016

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 की उपधारा (1) के पहले प्रावधान के अनुसार, कोई व्यक्ति, जिसमें कंपनी का प्रधान अधिकारी भी शामिल है, जो किसी निवासी को भुगतान की गई राशि या किसी निवासी के खाते में जमा की गई राशि पर अध्याय XVII-ख के प्रावधानों के अनुसार कर का पूरा या उसका कोई हिस्सा काटने में विफल रहता है, तो ऐसे कर के संबंध में चूककर्ता निर्धारिणी नहीं माना जाएगा, यदि ऐसा निवासी-

(*i*) धारा 139 के अंतर्गत अपनी आय का विवरण प्रस्तुत कर दिया है;

(*ii*) ऐसी आयकर विवरणी में आय की गिनती के लिए ऐसी राशि को ध्यान में रखा गया है; और

(*iii*) उसने आयकर विवरणी में घोषित आय पर देय कर का भुगतान कर दिया है,

और व्यक्ति इस आशय का प्रमाण पत्र लेखाकार से ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 31कगख के उपनियम (1) के अनुसार, धारा 201 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र, उपनियम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार, फॉर्म 26क में प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपनियम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।

3. आयकर नियम, 1962 के नियम 31कगख के उप-नियम (2) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) एतद्द्वारा, कॉलम संख्या 1 में उल्लिखित व्यक्तियों को कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों के लिए और कॉलम संख्या में उल्लिखित अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत चूकों के लिए प्रासंगिक कॉलम संख्या 3 में निर्दिष्ट तरीके से दाखिल किए जाने वाले कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित फॉर्म-प्रकार प्राप्त करने के लिए अधिकृत करते हैं। 5:

1	*2*	*3*	*4*	*5*
अधिकृत एओ	*फॉर्म का प्रकार*	*फॉर्म प्रस्तुत करने का तरीका*	*एवाई*	*धारा क्षेत्र निर्धारण अधिकारी (टीडीएस)[1]*
26*क*	26*क*	पेपर	2016-17 तक	201(1) और/या 40(*क*)(आईए)
सीपीसी-टीडीएस	26*क*	इलेक्ट्रॉनिक 12 [2]	2016-17 तक	200*क*
सीपीसी-टीडीएस	26*क*	इलेक्ट्रॉनिक 12 [2]	2017-18 से	200*क*; 201 (1) और/या 40

[1] एओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक कटौती के बाद टैक्स के पूरे या किसी हिस्से की कटौती न करने या भुगतान में विफलता पर ब्याज का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवरण प्रस्तुत करने से पहले किया जाएगा।

[2]फॉर्म 26*क* को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना 15-1-2017 से सक्षम होगा।

4. फॉर्म 26*क* को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

4-1 कटौतीकर्ता की भूमिका:

कदम	*कार्रवाई का स्थान*	*कार्रवाई*
1.	अनुरेख निवाहिका	**कम कटौती का विवरण प्राप्त करें:**कटौतीकर्ता को कम कटौती का विवरण प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
2.	अनुरेख निवाहिका	**बिना कटौती वाले लेनदेन दर्ज करें:**कटौतीकर्ता को अनुरेख पर बिना कटौती वाले लेनदेन का विवरण, यदि कोई हो, दर्ज करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई पंक्तियों में अनुरेख पर लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
3.	अनुरेख निवाहिका	**अनुरोध प्रस्तुत करें:** अनुरोध प्रस्तुत करने पर, आगे के संदर्भ के लिए एक अद्वितीय अनुरोध संख्या उत्पन्न की जाएगी। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए लघु-कटौती और/या गैर-कटौती अनुरोध को अनुरेख द्वारा संसाधित किया जाएगा और सफल लेनदेन को कुछ समय के बाद कटौतीकर्ता को प्रदर्शित किया जाएगा। अद्वितीय शॉर्ट डिडक्शन लेनदेन के लिए टीडीएससीपीसी द्वारा एक अद्वितीय डीआईएन[3]" तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार, बिना कटौती वाले लेनदेन के लिए एक अद्वितीय अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग (टैन, पैन और वित्तीय वर्ष का संयोजन) तैयार की जाएगी। ये दोनों अद्वितीय संख्याएँ और स्ट्रिंग्स अनुरेख द्वारा सफल प्रसंस्करण के बाद प्रदर्शित की जाएँगी। ये विशिष्ट डीआईएन और अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-फाइलिंग निवाहिका पर प्रेषित कर दिए जाएँगे तथा कटौतीकर्ता द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए उपलब्ध रहेंगे।
4.	ऑफ़लाइन	कटौतीकर्ता, अनुलग्नक क को प्रमाणित करने के लिए पहचाने गए

		लेखाकार को प्रत्येक लघु-कटौती और/या गैर-कटौती लेनदेन के लिए चरण सं. 3 में उत्पन्न डीआईएन और/या अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स की जानकारी देगा और चरण सं. में उपयोग के लिए ऐसे लेखाकार की सदस्यता सं. प्राप्त करेगा। 5.
5.	ई-फाइलिंग निवाहिका (कटौतीकर्ता के रूप में लॉगिन करें)	**उस डीआईएन का पता लगाएँ जिस पर फॉर्म 26क प्रभाव दिया जाना है:** प्रसूची संचालित विकल्प में प्रासंगिक डीआईएन का पता लगाएँ और चुनें जिसके लिए फॉर्म 26क के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जाना है। **उन बिना कटौती वाले लेनदेन का पता लगाएँ जिन पर फॉर्म 26क लागू किया जाना है:** उस गैर-कटौती लेनदेन का पता लगाएँ और उसका चयन करें जिसके लिए फॉर्म 26*क* हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया जाना है।
6.	ई-फाइलिंग निवाहिका	**लेखाकार की सदस्यता संख्या को अधिकृत करना**[4]: कटौतीकर्ता, फॉर्म 26क के अनुलग्नक क को प्रमाणित करने वाले लेखाकार की सदस्यता संख्या का पता लगाने के बाद, प्रत्येक लघु-कटौती और गैर-कटौती लेनदेन (एक या अधिक सत्रों में) के संबंध में अपनी सदस्यता संख्या दर्ज करके ऐसे लेखाकार को अधिकृत करने और इन प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
7.	ई-फाइलिंग निवाहिका	**अधिकृत लेखाकार से प्रमाणनः** कटौतीकर्ता द्वारा सफल प्राधिकरण पर, ई-फाइलिंग निवाहिका पर अधिकृत लेखाकार संबंधित डिडक्टी के संबंध में अनुलग्नक क से फॉर्म 26क में प्रासंगिक विवरण भर सकता है और अनुलग्नक क पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर सकता है। विशिष्ट डीआईएन और अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स का विवरण अधिकृत लेखाकार को (जब वह ई-फाइलिंग निवाहिका पर पंजीकृत लेखाकार के रूप में अपने खाते में लॉग इन करेगा) तभी दिखाई देगा, जब कटौतीकर्ता ने ऐसे लेखाकार को किसी भी लघु-कटौती और/या गैर-कटौती लेनदेन के संबंध में अधिकृत किया हो।
8.	**ई-फाइलिंग निवाहिका**	**डिजिटल हस्ताक्षरित फॉर्म 26क प्रस्तुत करें:**एक बार पंजीकृत

		लेखाकार/लेखाकारों द्वारा डीआईएन और/या अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स प्रमाणित कर दिए जाने के बाद, कटौतीकर्ता को फॉर्म पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे और अपना अंतिम अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। परिणामस्वरूप, इन प्रस्तुत अभिलेखों को संबंधित एफएओ के साथ साझा किया जाएगा।
9.	अनुरेख निवाहिका	**चूक की संशोधित स्थिति देखें:**एक बार अनुरोध संसाधित हो जाने पर, कम कटौती की पुनःगिनती की जाएगी और इसके अनुसार विलंबित कटौती ब्याज उत्पन्न किया जाएगा, जिसे कटौतीकर्ता द्वारा देखा जा सकता है।
10.	एनएसडीएल/अनुरेख निवाहिका	**संशोधित विलंबित कटौती ब्याज का भुगतान करें:**कटौतीकर्ता को संशोधित गिनती के अनुसार विलंबित कटौती ब्याज राशि का भुगतान करना होगा।

[3] डीआईएन एकल कटौती पंक्ति की विशिष्ट पहचान संख्या है।

[4] लेखाकार को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में इसका अर्थ सौंपा जाएगा।

4. 2 ई-फाइलिंग में लेखाकार की भूमिकाः

1. लेखाकार को ई-फाइलिंग निवाहिका पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा तथा अपनी सदस्यता संख्या कटौतीकर्ता के साथ साझा करनी होगी, ताकि उसे कम कटौती और/या गैर-कटौती के संबंध में अधिकृत किया जा सके।
2. कटौतीकर्ता से प्रत्येक लघु-कटौती और/या गैर-कटौती के संबंध में डीआईएन और/या अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग प्राप्त करें।
3. कटौतीकर्ता द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद और कटौतीकर्ता से डीआईएन और/या अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स प्राप्त करने के बाद, लेखाकार योग्यता प्रमाण के साथ ई-फाइलिंग निवाहिका पर लॉग इन करें।
4. सत्यापित की जाने वाली कटौतीकर्ता पंक्तियों की पहचान करने के लिए डीआईएन और/या अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स का उपयोग करें।
5. संबंधित कटौतीकर्ता के संबंध में फॉर्म 26क का अनुलग्नक क पूरा करें।
6. अनुलग्नक-क को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करके पूरा करके प्रस्तुत करें।

4. 3 ई-फाइलिंग की भूमिकाः

कटौती के लिए	*सत्यापन*	*अनुरेख*
1. सीपीसी-टीडीएस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-फाइलिंग निवाहिका पर सूचित किए गए अनुसार कटौतीकर्ता को लघु-कटौती और/या गैर-कटौती लेनदेन का दृश्य प्रदान करना। 2. कटौतीकर्ता को लघु-कटौती और/या गैर-कटौती लेनदेन का पता लगाने और चयन करने की अनुमति दें और लेखाकार(ओं) की सदस्यता संख्या दर्ज करके इनमें से प्रत्येक लेनदेन के संबंध में लेखाकार(ओं) को अधिकृत करें। 3. प्राधिकृत लेखाकारों को डीआईएन और/या अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग के आधार पर फॉर्म 26क के अनुलग्नक क को देखने की अनुमति दें; अनुलग्नक को पूरा करें; और डिजिटल हस्ताक्षर करके उसे जमा करें। 4. कटौतीकर्ता को प्राधिकृत लेखाकार(ओं) द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 26क के अनुलग्नक क सहित फॉर्म 26क को देखने की अनुमति दें और इस फॉर्म 26क को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करके जमा करें।	**अनिवार्य अनुपालन की जाँच करें:** कटौतीकर्ता (पैन) का आईटीआर धारा 139 के तहत दाखिल किया जाना चाहिए और मूल्यांकन के समय कोई माँग देय नहीं होनी चाहिए।	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फॉर्म 26क को सीपीसी-टीडीएस के साथ साझा करें।

4. 4 अनुरेख की भूमिकाः

कटौती के लिए	*बैकएंड प्रोसेसिंग*

1. कटौतीकर्ता को देखने के लिए पहचाने गए लघु-कटौती लेनदेन को प्रदर्शित करें।
2. कटौतीकर्ता को गैर-कटौती लेनदेन जोड़ने का विकल्प प्रदान करें।
3. पैरा 4.1 के चरण 3 के अनुसार कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए डीआईएन और/या अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग प्रदान करें।
4. ई-फाइलिंग निवाहिका से प्राप्त फॉर्म 26क की अद्यतन स्थिति प्रदर्शित करें।

अनुरोध का प्रसंस्करण: जब कटौतीकर्ता फॉर्म 26क का अनुरोध प्रस्तुत कर देता है, तो टीडीएससीपीसी विवरण का पुनःप्रसंस्करण करेगा और लघु कटौती को संशोधित किया जाएगा।

■■